<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-193 /2020/2281/41-2020-96(बजट)/2018</u>

लखनऊ दिनांक 02 सितम्बर, 2020

<u>संख्या- 177/2020/1635/41-2020-96(बजट)/2018 दिनांक 07 अगस्त</u>, <u>2020</u>

<u>का शुद्धि पत्र</u>

जनपद महराजगंज के ग्राम सभा हरपुर महन्थ वि0खं0 घुघली में प्राचीन शिव मंदिर एवं तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु अवशेष स्वीकृति हेतु निर्गत **शासनादेश <u>संख्या- 177/2020/1635/41-2020-96(बजट)/2018 दिनांक 07 अगस्त</u>**, **<u>2020</u>** के संदर्भ में महानिदेशक**,** पर्यटन के पत्रांक- 1854/6-1-1(982)/2018 दिनांक 20-8-2020 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** में त्रुटिवश **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया गया है**,** जबकि इसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर** अंकित होना चाहिए था।

2. अत: **शासनादेश <u>संख्या- 177/2020/1635/41-2020-96(बजट)/2018 दिनांक 07 अगस्त</u>**, **<u>2020</u>** के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर एतद्द्वारा **मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक **07 अगस्त**, **2020** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-193 /2020/2281/41-2020-96(बजट)/2018</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव ,प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ,लखनऊ।
8- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग , महराजगंज।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
11- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, गारेखपुर।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in

http://shasanadesh.up.gov.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।